संख्या- 264 /2025/2077 /चार-2025-1947430

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2025**

विषय:- दिनांक 12 व 14 जुलाई, 2025 को अमेरिका से फुल ब्राईट स्कालर दल के जनपद वाराणसी में आगमन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 995/सं0नि0-15(34)/2025-26, दिनांक 08 जुलाई, 2025 तथा निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या- 113/ उ0प्र0लो0ज0सं0सं0/2025-26 दिनांक 07 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उच्च निर्देशों के क्रम में जनपद वाराणसी में दिनांक 12 व 14 जुलाई, 2025 को अमेरिका से फुल ब्राईट स्कालर दल के आगमन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

दिनांक 12.07.2025 को वाराणसी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा			
क्र0	**कार्यक्रम का नाम**	**कलाकार का नाम**	**मानदेय (एक मुश्त)**
1	शहनाई एवं बांसुरी	श्री जवाहर लाल, वाराणसी एवं श्री राकेश कुमार, वाराणसी	40,000/-
2	भरतनाट्यम (शिव पर आधारित)	सुश्री खिल्लेश्वरी पटेल, वाराणसी	40,000/-
3	वायलिन	पं0 संतोष कुमार नाहर, नई दिल्ली	60,000/-
4	ढेढिया लोकनृत्य	श्री आनन्द किशोर, प्रयागराज	45,000/-
दिनांक 14.07.2025 को वाराणसी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा			
5	गायन (भजन, ठुमरी)	श्री राहुल एवं श्री रोहित मिश्रा, वाराणसी	40,000/-
6	पंचनाद वाद्यवृंद (सितार, पखावज, मृदंग, तबला, बांसुरी)	श्री अंशुमान महाराज एवं दल, वाराणसी	50,000/-
7	नृत्य नाटिका (गंगा अवतरण एवं शिव पर आधारित)	श्री रूद्र शंकर एवं साथी	40,000/-
		योग	3,15,000/-

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद वाराणसी में दिनांक 12 व 14 जुलाई, 2025 को अमेरिका से फुल ब्राईट स्कालर दल के आगमन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय **रू0 3,15,000/- (रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ/ उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि आहरित कर उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।